न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 47 /2023

उनवान

1 प्रकाश पुत्र बिरदूराम, जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 धर्मपाल पुत्र हरफूल
3 सरदारमल पुत्र कानाराम
4 छगनलाल पुत्र शिवबक्स जाति रैगर निवासीगण नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर अप्रार्थीगण

5 हरिनारायण पुत्र बिरदूराम
6 कैलाश पुत्र बिरदूराम
7 रामकिशोर पुत्र बिरदूराम
8 श्रवण पुत्र बिरदूराम
9 तारादेवी पुत्र बिरदूराम
10 सन्तीदेवी पुत्री बिरदूराम
11 पतासीदेवी पुत्री बिरदूराम
12 इन्द्रा देवी पुत्री बिरदूराम
13 गजानन्द पुत्र चन्दाराम
14 जगदीश पुत्र चन्दाराम
15 गीता पुत्री चन्दाराम
16 सीता पुत्री चन्दाराम
17 प्रेम देवी पत्नि बजरंग
18 रवि पुत्र बजरंग
19 विकास पुत्र बजरंग
जाति रैगर निवासीगण नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 26.6.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1010 रकबा 0.83 है0, वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 5 से10 के पिता बिरदूराम पुत्र छोटूराम तथा तरतीबी अप्रार्थी सं0 13 से 19 के पिता व दादा व सुसुर चन्दाराम पुत्र घीसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।खातेदार चन्दा पुत्र घीसाराम व बिरदू पुत्र छोटूराम फौत हो चुके है। मृतक खातेदार बिरदू के विधिक वारिसान प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं 5 से 10 तथा मृतक खातेदार चन्दा पुत्र घीसाराम के विधिक वारिसान तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 13 से 19 है। प्रश्नागत आराजी का उप तहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमा/ 1665 दिनांक 11.4 2018 की पालना में दिनांक 31.5.2019 को खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 31.5.2019 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिकमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये । प्रकरण मंहगाई राहत कैम्प जगतपुरा में रखा गया । वकील प्रार्थी उपस्थित आये तथा वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.5.2019 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 31.5.20219 को गिरदावर हल्का राडावास तथा अन्य पटवारियों की टीक के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का राज्य सरकार की मंशा के अनुसार शीघ्र निस्तारण तथा मंहगाई राहत शिविर में लगाये गये कैम्प को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रस्नागत कि कि ख.नं. 1010 रकबा 0.83 है0, वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.5.2019 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर